पत्रांक 3523 /वैट धारा–57/08–09/आयु0क0 उत्तरा0/वाणि0कर/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(धारा–57 अनुभाग)
दिनांक :: देहरादून :12 दिसम्बर 2008

सर्वश्री कार्यालय प्रभागीय विपणन प्रबन्धक,
उत्तरांचल वन विकास निगम,
57 हीरानगर, हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल उत्तराखण्ड।

आदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत

सर्वश्री प्रभागीय विपणन प्रबन्धक, उत्तरांचल वन विकास निगम, 57 हीरानगर, हल्द्वानी जिला–नैनीताल द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत पत्रांक 1893 दिनांक 03–10–08 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए 'जड़' पर लागू कर की दर की सम्बन्ध में प्रश्न किया गया है।

2– विभागीय पक्ष ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर नैनीताल सम्भाग, हल्द्वानी द्वारा रखा गया है। उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि व्यापारी द्वारा 'जड़' की बिकी पर 4 प्रतिशत की दर से कर जमा किया जा रहा है, जबकि प्रश्नगत वस्तु पर वैट अधिनियम की धारा–4 की उपधारा–2 (ए) के खण्ड–1 (डी) के अन्तर्गत कर की दर 12.5 प्रतिशत होनी चाहिए। व्यापारी के वर्ष 2003–04 एवं 2004–05 के अन्तिम कर निर्धारण आदेश मे जड़ की बिकी पर 5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया था लेकिन अभिलेख पर त्रुटि पाये जाने पर उक्त अन्तिम कर निर्धारण आदेश को संशोधित करते हुए जड़ की बिक्री पर अवर्गीकृत वस्तु की भांति 10 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया है तथा वैट अधिनियम के तहत व्यापारी द्वारा कम दर से कर जमा करने के सम्बन्ध में अनन्तिम कर निर्धारण हेतु नोटिस जारी किये गये है। अतः व्यापारी द्वारा पूछा गया उक्त प्रश्न कर निर्धारण अधिकारी के आदेश से उत्पन्न हुआ है।

3– व्यापारी की ओर से अपना पक्ष रखने हेतु श्री जोगेन्द्र सिंह,फर्म अधिवक्ता तथा श्री एम0पी0एस0 रावत, डी0एम0एम0 उतरांचल वन विकास निगम उपस्थित हुए तथा लिखित उत्तर दाखिल किया गया। लिखित उत्तर में कमिश्नर वाणिज्य कर उ0प्र0 द्वारा प्रभागीय विकय प्रबन्धक, साहरनपुर विकय प्रभाग ,वन विभाग दरियापुर रोड, नजीबाबाद, बिजनौर के मामले में दिये गये निर्णय का हवाला देते हुए तथा व्यापारी के वर्ष 2004–05 के कर निर्धारण आदेश जिसमें जड की बिकी पर 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया है प्रस्तुत किया गया।

4– मेरे द्वारा दोनो पक्षों के मतों का अवलोकन किया गया। उत्तराखणड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा– 57 के अन्तर्गत किसी न्यायालय के समक्ष अथवा धारा–25, धारा–26 या धारा–29 के अधीन कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है अथवा कोई प्रश्न, जो इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी या अधिकरण द्वारा प्रार्थी के मामले मे दिये गये पूर्ववर्ती आदेश से उत्पन्न हो तो, इस धारा के अधीन अवधारणा

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र
देहरादून

के लिए ग्रहण नहीं किया जायेगा, का प्राविधान हैं। चूंकि व्यापारी के मामले में उक्त प्रश्न वर्ष 2003–04 एवं 2004–05 के कर निर्धारण आदेश तथा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा– 24 के अन्तर्गत अनन्तिम कर निर्धारण नोटिस के द्वारा उत्पन्न हुआ है। अतः उक्त प्रश्न उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा– 57 के अन्तर्गत ग्राहृय नहीं है। तदनुसार उक्त प्रार्थना पत्र निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति सम्बन्धित व्यापारी तथा कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित की जाये।

12.01.16

(वी0के0 सक्सेना)
एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय देहरादून।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सर्वश्री [illegible] हल्द्वानी।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून।
3– एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून / कुमाऊँ जोन रूद्रपुर।
4– एडिशनल कमिश्नर (आडिट) / (प्रर्वतन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
5– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर देहरादून / हरिद्वार / काशीपुर / हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों / बार एसोसिऐशन के पदाधिकारियों / उद्योग / व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून / हल्द्वानी।
7– ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0 / प्र0) वाणिज्य कर हरिद्वार / रूद्रपुर।
8– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
9– पोर्टल प्रबन्धक, उत्तरा पोर्टल जी0ओ0यू0 परियोजना कार्यालय, आई0आई0टी0 रूडकी ।
10– संख्या अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों / अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
11– नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।
12– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस–15 / 5 राजनगर गाजियाबाद।
13– लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड राजनगर गाजियाबाद।
14– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।
15– विधि अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

12.01.16

एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय देहरादून।